झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 15 माघ 1940 (श0) / 04 फरवरी 2019 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागो को भेजी गयी सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
उत्तर मुद्रित 467.	मनि0–02	श्रीमती सीमा देवी	बूथ बदलना।	मंत्रिमंडल (निर्वाचन)	17/01/19
468.	ग0– 32	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	भयमुक्त कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	23/01/19
# 469.	ग0–33	श्री दीपक बिरुवा	मुआवजा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	24/01/19
470.	ग0–27	श्री जयप्रकाश वर्मा	पदमुक्त कर कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	23/01/19
471.	ग0–29	श्री राज कुमार यादव	जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	23/01/19
472.	ग0–28	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	शांति व्यवस्था दुरुस्त करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	23/01/19
473.	योवि0–05	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	कार्रवाई करना।	योजना सह वित्त	17/01/19
उत्तर मुद्रित 474.	का0– 12	श्रीमती सीमा देवी	अंचलाधिकारी पर कार्रवाई।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	17/01/19

४६९. गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आपांक-86 दि०-28.01.19 द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित

1.	2.	3.	4.	5.	6.
उत्तर मुद्रित					
475.	का0- 22	श्री भानु प्रताप शाही	आदिम जनजाति में रखना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	23/01/19
* 476.	योवि0-09	श्री जानकी प्रसाद यादव	कर का भुगतान	योजना सह वित्त	24/01/19
477.	ग0-26	श्री अशोक कुमार	थाना भवन का निर्माण	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	23/01/19
478.	का0- 26	श्री कुणाल षड़ंगी	अनुमंडल बनाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24/01/19
479.	ग0-34	श्री जानकी प्रसाद यादव	पंचायत का थाना बदलना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	27/01/19
# 480.	का0- 24	श्री चमरा लिण्डा	कानून बनाने संबंधी प्रस्ताव।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	23/01/19
481.	का0- 23	श्रीमती बबीता देवी	नियुक्ति करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	23/01/19
482.	ग0-30	श्री रामकुमार पाहन	लाभ दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	23/01/19

राँची
दिनांक- 04 फरवरी, 2019

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-03/15......1106....../वि0स0, राँची, दिनांक- 02/02/19

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/02/2019
(संजय कुमार)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-03/15......1106....../वि0स0, राँची, दिनांक- 02/02/19

प्रति :- अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय को सूचनार्थ एवं अपर सचिव प्रश्न तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

02/02/2019
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-03/15......1106....../वि0स0, राँची, दिनांक- 02/02/19

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

02/02/2019
निरंजन
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

30/01/19

* 476. योजना सह वित्त विभाग के पत्रांक-32 दि०-28.01.19 द्वारा वाणिज्यकर विभाग में स्थानांतरित।

480. कार्मिक विभाग के पत्रांक 760 दि०-25.01.19 द्वारा अनुसूचित जाति, अनु० जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानांतरित

उत्तर मुद्रित

*467. श्रीमती सीमा देवी--क्या मंत्री, मन्त्रिमंडल निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली विधान-सभा (61) के राहे प्रखण्ड में बंसिया पंचायत स्थित घनबसार में भाग संख्या-153 अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भाग में बंसिया गाँव के नीचे टोला के 595 मतदाताओं का नाम है, जहाँ से घनबसार की दूरी 8 कि०मी० है;

(3) क्या यह बात सही है कि बंसिया गाँव में भी राजकीय मध्य विद्यालय में भी एक बुथ है, जिसकी दूरी नीचे टोला से मात्र आधा कि०मी० है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-03 के मतदाताओं का नाम घनबसार बुथ से हटाते हुए बंसिया गाँव के ही विद्यालय के भाग संख्या में नाम दर्ज कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक

(2) स्वीकारात्मक

(3) स्वीकारात्मक

(4) हाँ ।

सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी 61-सिल्ली विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र के पत्रांक-49, दिनांक 22 जनवरी, 2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खण्ड-03 के मतदाताओं का नाम रा०कृत प्रा०वि० घनबसार, मतदान केन्द्र संख्या 153 से हटाते हुए बंसिया गाँव में अवस्थित रा०कृत मध्य वि० बंसिया, मतदान केन्द्र संख्या 152 में दर्ज कराने हेतु बी०एल०ओ० द्वारा प्रपत्र 8 'क' भराने एवं प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है ।

468

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड रंका के बांदु, विश्रामपुर, चिनियां प्रखण्ड के रनपुरा, मेराल प्रखण्ड के पेसका, पढुआ, गढ़वा प्रखण्ड के अन्नराज, तिलदाग में पुलिस पिकेट नहीं होने की वजह से आये दिन अप्रिय घटनाएँ घटित होते रहती है जिससे जनसामान्य के मन में भय का माहौल व्याप्त है ;	अस्वीकारात्मक। इन स्थलों में थाना के गश्ती वाहन/ पी०सी०आर० हाईवे पेट्रोल आदि के माध्यम से सतत् निगरानी रखी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित स्थानों पर स्थायी पुलिस पिकेट के निर्माण हो जाने से नक्सलवाद पर भी नियंत्रण करने में सुविधा होगी ;	अस्वीकारात्मक। इन स्थलों में कोई नक्सली संगठन सक्रिय नहीं है और नहीं विगत वर्षों में कोई घटना घटित हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित स्थानों पर अविलम्ब स्थायी पुलिस पिकेट का निर्माण कराकर आमजन को भय मुक्त वातावरण देने तथा नक्सलवाद पर लगाम लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	स्थानीय थाना द्वारा गश्ती के माध्यम से विधि–व्यवस्था संधारित की जाती है। सम्प्रति वर्णित स्थलों पर पुलिस पिकेट स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–07/2019–.....681/ राँची, दिनांक– 01/02/2019ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–852, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

469

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–33 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पं0 सिंहभूम जिलान्तर्गत प्रखण्ड–सदर, हाट गम्हरिया, तांतनगर मंझारी एवं कुमारडुगी क्षेत्र में हाथियों द्वारा खलिहान में घुसकर किसानों को लाखों का नुकसान पहूँचाया तथा कई घर तोड़ दिये गये है ;	प्रखण्ड–सदर, हाटगम्हारिया, तांतनगर, मंझरी एवं कुमारडुगी चाईबासा वन प्रमण्डल के कार्य क्षेत्र में पड़ते है। यह वनों से आच्छादित है। प्राकृतिक विचरण एवं आवागमन के क्रम में हाथियों के झुण्ड द्वारा यदा–कदा वनों से बाहर ग्राम में भंडारित अनाज, फसल, घर इत्यादि की क्षति पहुँचाई जाती है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, उक्त वर्णित क्षेत्र में हाथियों द्वारा किये गये क्षति का सर्वे करा कर अबतक हुई नुकसान का आकलन करते हुए संबंधित प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जंगली हाथियों से जान–माल के क्षति की भरपाई हेतु सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँचोपरान्त मुआवजा भुगतान किया जाता है। मुआवजा की अद्यतन दर विभागीय संकल्प संख्या–3906 दिनांक–18.09.2017 निर्धारित है। उल्लेखित प्रखण्ड–सदर, हाटगम्हारिया, तांतनगर, मंझरी एवं कुमारडुगी में हाथियों द्वारा की गयी जान–माल की क्षति के लिए वर्ष 2018–19 में अब तक कुल–9,53,878.00 रू0 का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त माह दिसम्बर, 2018 में घटित मामलों का जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति की तिथि 28.01.2019 के आधार पर भुगतेय राशि 2,17,000.00 रू0 मात्र का चेक निर्गत कर कोषागार में समर्पित किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–36 / 2019– 555 व0प0, राँची, दिनांक– 02/02/2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–893 दिनांक– 24.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02/02/19
(देव कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

VIDHAN SABHA-2019 V.K

470

झारखण्ड सरकार,
गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

श्री जय प्रकाश वर्मा, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दि0 04.02.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–27 का प्रश्नोत्तर –

क्र0स0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अभियोजन निदेशालय में विशेष कार्य पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है फिर भी उक्त निदेशालय में श्री दिग्विजय मणि त्रिपाठी, तत्कालीक सेवानिवृत्त निदेशक, अभियोजन को नियम विरूद्ध विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर अनुबंध पर नियुक्त की गई है ;	वित्त विभाग, झारखण्ड के परिपत्र सं0–4569/वि0, दिनांक–05.07.2002 में अंकित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यहित में श्री दिग्विजय मणि त्रिपाठी, सेवानिवृत्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के कार्यालय आदेश सं0–2766, दिनांक–28.05.2018 के द्वारा अभियोजन निदेशालय में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में अनुबंध पर एक वर्ष (दिनांक–28.05.2018 से 28.05.2019 तक) के लिए नियुक्त किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पदाधिकारी द्वारा उक्त निदेशालय के कार्यालय आदेश पत्रांक–532, राँची/दिनांक–12.11.2018 को नियम विरूद्ध एक प्रथम श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी श्री पावल कोनगाड़ी, अपर लोक अभियोजक, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड को जिला अभियोजन कार्यालय, जिला धनबाद में पद पर पदस्थापित किये जाने के साथ कुल–35 डाटा इंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति/सेवा विस्तार भी नियम विरूद्ध कर दी गई , जो घोर वित्तीय अनियमितता के साथ–साथ पद का दुरूपयोग कर सरकार के नियमों का उल्लंधन किया गया है ;	इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–615, दिनांक–01.02.2019 द्वारा वस्तुस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। e-Prosecution Project के क्रियावन्यन हेतु Man Power NIC के द्वारा Empanelled Vendors के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। अभियोजन निदेशालय द्वारा उक्त प्रोजेक्ट हेतु किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही उनका सेवा विस्तार किया गया है।
3	क्या सरकार यह बताएगी कि खण्ड–01 में वर्णित निदेशालय में विशेष कार्य पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं होने के बावजूद नियमों का अनुपालन कर अस्वीकृत पद पर नियुक्ति की है ;	कंडिका–1 में स्पष्ट की गई है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित पदाधिकारी को पद का दुरूपयोग व वित्तीय अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–01 तथा 02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ज्ञापांक–06 / वि0स0–01 / 2019– 616 /राँची, दिनांक– 01 / 02 / 2019 ई0.

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–846, दि0 23.01.2019 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/02/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

(471)

श्री राज कुमार यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अंतर्गत सरायढेला थाना केस नं०–267 / 18, दिनांक–20.11.2018 पकड़े गये कोयला लदा ट्रक हाइवा के मालिक पर ही केश दर्ज किया गया है ;	स्वीकारात्मक। सरायढ़ेला थाना काण्ड सं0–267 / 18, दिनांक–20.11.18, धारा–409 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120 बी0 भा0द0वि0 में 1. बी0के0बी0 ट्रांसपोर्ट प्रा0लि0 के मालिक, 2. प्रबंधक, 3. मिथिलेश कुमार (प्रतिनिधि), 4. हाईवा सं0–जे0एच0 10 पी0 9715 का निबंधित मालिक, 5. चालक दिलीप, 6. उप–चालक के विरूद्ध दर्ज किया गया है। काण्ड अनुसंधान अंतर्गत है।
2	क्या यह बात सही है कि B.C.C.L/E.C.C.L खदानों से कोयला लदे ट्रक / हाइवा रेलवे साईडींग / डंपीग एरीया के स्थल में न गिराकर कोयला माफिया के संगठित गिरोह, कोलयरी प्रबंधन C.I.S.F पुलिस प्रशासन से साठगांठ कर कोक भठों या अन्यत्र जगहों पर बेच दिया जाता है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या सरकार यह बताएगी कि खण्ड–02 में वर्णित संगठित कोयला माफिया की गिरोहों की जांच न कर ट्रक मालिक पर केश दर्ज कर मामले की खानापूर्ति कर अतिश्री कर दिया जाता है, पाँच वर्षों में ऐसे 50–60 केश मुकदमें धनबाद जिले में दर्ज किये है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोल माफियाओं के संगठित गिरोहों, कोलयरी प्रबंधन C.I.S.F सहित ट्रास्पोंटरों की एस०आई०टी० गठन कर निष्पक्ष जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पुलिस मुख्यालय द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद को जिला खनन पदाधिकारी, वन विभाग के पदाधिकारी तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को मिलाकर टास्क फोर्स का गठन कर कोयला चोरी के कारोबार पर पूर्ण रोकथाम हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09 / वि०स०(10)-02 / 2019– 613 / राँची, दिनांक–01 / 02 / 2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–848, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/02/19
सरकार के अपर सचिव।

(472)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला में आये दिन लूट, हत्या एवं कोयले के अवैध कारोबार का गोरख धन्धा जैसे चीजों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता में रोष एवं भय का महौल है ;	अस्वीकारात्मक। रामगढ़ जिलान्तर्गत विगत तीन (03) वर्षो के दौरान लूट, हत्या एवं कोयले के अवैध कारोबार से संबंधित निम्न तालिका के अनुसार काण्ड प्रतिवेदित हुए है :– (तालिका नीचे) रामगढ़ जिलान्तर्गत पुलिस की सक्रियता के कारण लूट के प्रतिवेदित काण्डों में विगत वर्ष के दौरान काफी कमी आयी है एवं हत्या के काण्डों में भी कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है। इस शीर्ष में कांडों के प्रतिवेदित होने की स्थिति वर्ष 2016 के लगभग सदृश्य है। रामगढ़ जिला में अवैध कोयला व्यापारियों के विरूद्ध सघन अभियान चालाने एवं उनके विरूद्ध कड़ाई करने के संबंध में दिये गये निर्देश के फलस्वरूप हीं वर्ष 2018 में कोयला चोरी के कुल 92 काण्ड अंकित किये गये हैं, जिससे अवैध कोयला कारोबारियों में कानून की प्रति भय व्याप्त है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब रामगढ़ जिले में शांति व्यवस्था को दुरूस्त करने एवं कोयले के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	रामगढ़ जिला में सभी थाना/ओ०पी० प्रभारी को अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत लूट, हत्या एवं अवैध कोयला कारोबार के रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाने एवं कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

	वर्षवार प्रतिवेदित कांड		
	2016	2017	2018
लूट	22	18	11
हत्या	35	27	36
अवैध कोयला चोरी	32	79	92

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–06/2019–....612../ रॉंची, दिनांक– 01/02/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–849, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में पुछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या यो०वि०–05 की उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 से योजना सेवा नियमावली का गठन की गई है, जिसके तहत उक्त सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को नियमावली गठन की तिथि से वित्तीय लाभ देने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा की गई थी	स्वीकारात्मक। वित्त विभाग के द्वारा योजना सेवा नियमावली 2012 के प्रस्ताव पर इस शर्त्त के साथ सहमति प्रदान की गयी थी कि पूर्व से कार्यरत अर्हता प्राप्त जिला योजना पदाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों का प्रस्तावित झारखण्ड योजना सेवा के पदों पर समायोजन नियमावली लागू होने की तिथि से ही किया जा सकेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पदाधिकारियों ने वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन कर उक्त पदाधिकारियों ने 01 जनवरी, 2006 से ही वैचारिक लाभ ले लिया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पदाधिकारी को प्रति माह 12,000/– रुपये का अतिरिक्त लाभ वेतन मद से हुआ:	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। प्रशासी विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर इन पदाधिकारियों का झारखण्ड योजना सेवा के पदों पर समायोजन दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से किया गया। इन पदों के वेतनमान का लाभ वैचारिक रूप से दिनांक 01.01.2006 से तथा आर्थिक लाभ नियमावली लागू की तिथि से प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित नियमावली बनाने के क्रम में वित्त विभाग की आपत्ति को विलोपित कर अपने पक्ष में संलेख तैयार कर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पारित करा ली और जब उक्त संबंध में तत्कालीन संयुक्त सचिव ने उक्त गंभीर मामले कर कड़ी टिप्पणी की तो उक्त टिप्पणी को संबंधित पदाधिकारीयों द्वारा नजर अंदाज कर अपना वेतनमान ग्रेड पे–6600/– निर्धारित कर ली जो घोर वित्तीय अनियमितता प्रतीत होती है:	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। कंडिका 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। योजना विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव की कड़ी टिप्पणी संचिका में परिलक्षित नहीं हो रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–02 में वर्णित गंभीर मामलें की एक माह के अन्दर उच्च स्तरीय जांच कराकर संबंधित सभी दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वित्तीय अनियमितता की राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारियों के वेतन मद से करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चूँकि योजना विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से समायोजन करने का प्रस्ताव गठित कर उसपर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्रवाई की गई है, इसलिए इस मामले में जाँच की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(योजना प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि०स०(4)–06/19 142(यो०) **राँची, दिनांक** 02.02.2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/2/19

(अखिलेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

उत्तर प्रतीक्षित

*474. श्रीमती सीमा देवी--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सोनहातु प्रखण्ड के डोमाडीह निवासी श्री रमेशचन्द्र महतो की पत्नी दुरो देवी उर्फ द्रौपदी देवी को भूमिहीन दर्शाकर 2 एकड़ जमीन बन्दोबस्त किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बन्दोबस्ती करने वाले तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री आलोक कुमार को दोषी पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु लोकायुक्त झारखण्ड द्वारा अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग को पत्र दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तत्कालीन अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

परिवाद सं०-01/लोक(राजस्व)-10/2014 में माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-8332, दिनांक 6 नवम्बर, 2018 द्वारा उपायुक्त, राँची से श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र-'क' अप्राप्त रहने पर विभागीय प्रत्रांक-510, दिनांक 18 जनवरी, 2019 द्वारा स्मारित किया गया है । इनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

---

*475. श्री भानु प्रताप शाही--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वियार जाति को ओ०बी०सी० की श्रेणी में रखा गया है, जबकि वियर जाति की रहन-सहन, सामाजिक स्वरूप एवं संस्कार बिल्कुल आदिम जनजातियों से मेल खाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस जाति को छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जनजाति की मान्यता प्राप्त हो चुकी है और झारखण्ड सरकार द्वारा आदिम जनजाति को बचाने के प्रयास के बावजूद अब तक इन्हें ओ०बी०सी० की श्रेणी में रखा गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वियार जाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--

(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । तत्कालीन झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा वियार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने के अनुशंसा की गयी है ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में संकल्प संख्या-1951, दिनांक 06 मार्च, 2017 द्वारा वियार जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-126 पर समावेशित किया गया है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

---

(476)

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा चालू सत्र में तिथि 04.02.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–यो0वि0–09 का उत्तरः–

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में स्थित अनेकों उद्योग कम्पनियों एवं अर्द्ध सरकारी कम्पनियों का मुख्यालय राज्य से बाहर है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि इन कम्पनियों एवं उद्योग को लगनेवाला केन्द्रीय कर भुगतान इनके द्वारा अपने मुख्यालय स्थित राज्यों में किया जाता है;	अस्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि अन्य राज्यों में केन्द्रीय करों का भुगतान होने से राज्य को मिलनेवाले लाभांश से राज्य को वंचित होना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक है। दिनांक 01.07.2017 से देश /राज्य में माल और सेवा कर प्रणाली (जी0एस0टी0) लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय बिकी कर (सी0एस0टी0) समाविष्ट हो गया है। वर्तमान में अन्तर्राज्य बिकी/आपूर्ति (Interstate Supply of Goods / Services) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 से प्रशासित होता है। एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) के अन्तर्गत संग्रहित राजस्व केन्द द्वारा प्रतिमाह राज्यों को आनुपातिक रूप से वितरित/विभाजित (Apportion) किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में पहल कर राज्य में ही करों का भुगतान हो इसकी व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?	कंडिका–1 से 3 के उत्तर के आलोक में कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांकः– वा0– कर /वि0मं0/02/2019– 416 (अनु0) /राँची, दिनांकः– 30/01/19

प्रतिलिपि–

1. अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 894 दिनांक 24.01.2019 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 32/वि0प्रे0 दिनांक 28.01.2019 के आलोक में सूचनार्थ।

अनु0–यथोक्त।

30/01/19

(अजय कुमार सिन्हा)
राज्य–कर अपर आयुक्त।

(477)

श्री अशोक कुमार, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा, बेलबड्डा एवं ठाकुरगंगटी का थाना भवन काफी जर्जर अवस्था में है, वहीं हनवारा थाना का संचालन गाँव के छोटे से सामुदायिक भवन में हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बलबड्डा थाना वर्त्तमान में उपस्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित थाना का भवन काफी पुराना व जर्जर होने के कारण थाना असुरक्षित होने के साथ अन्य कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा, बेलबड्डा, ठाकुरगंगटी एवं हनवारा थाना का नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा, बेलवड्डा, ठाकुरगंगटी एवं हनवारा थाना के भवन निर्माण हेतु योजना नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में योजना प्राप्त होने पर थाना भवन निर्माण करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–10 / 2019–682 / राँची, दिनांक– 01 / 02 / 2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–847, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

(478)

माननीय स०वि०स० श्री कुणाल षड़ंगी द्वारा दिनांक 04.02.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–26 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विगत एक दशक से साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखण्ड के जनता के द्वारा बरहेट को अनुमण्डल बनाने की माँग करते आ रहे है;	अस्वीकारात्मक। नये अनुमण्डल का सृजन संबंधित उपायुक्त, एवं संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति की बैठक में रखा जाता है, तदोपरान्त उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जाता है। साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहेट को अनुमण्डल का दर्जा देने के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका एवं उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, चालू वित्तीय वर्ष में साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–03/2019 का०– 818 /राँची, दिनांक– 29/01/19

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–895 दिनांक–24.01.2019 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/19

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

479

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखण्ड के तीन पंचायत खैरा, झरपो, भराजों को नये प्रखण्ड टाटी झरीया में शामिल किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इन शामिल किये गये पंचायतों का थाना अभी भी ईचाक है एवं इन पंचायतों से ईचाक थाना की दूरी लगभग 30 कि०मी० है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि इन पंचायतों की दूरी टाटी झरोपा थाना से लगभग 5 कि०मी० है ;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि इन पंचायतों का थाना टाटी झरोपा कर दिये जाने से इन पंचायत के लोगों को सुविधा होगी एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित होगा ;	स्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस पंचायतों का थाना क्षेत्र टाटी झरीया करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग से प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर इक्त पंचायतों का थाना क्षेत्र टाटी झरीया करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–11 / 2019–683 / राँची, दिनांक–01 / 02 / 2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–932, दिनांक–27.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/2/19

सरकार के अपर सचिव।

(480)

श्री चमरा लिण्डा, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.02.2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–का–24 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1) के उपखण्ड (d) एवं (e) के प्रावधान के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को पूरे भारत में बिना रोक–टोक के भ्रमण करने एवं निवास करने का अधिकार प्राप्त है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अनुच्छेद 19(1) के उपखण्ड (d) एवं (e) के प्रावधान के प्रावधान के बावजूद, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 19 (5) के अन्तर्गत राज्य सरकार को कानून बनाकर अनुसूचित क्षेत्र में प्रतिषेध करने का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 19 (5) के अन्तर्गत कानून बनाने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	संबंधित मामला विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:– 05/वि०स०प्र०अ०वि०–01/18– 525   राँची, दिनांक:– 01/02/19

प्रतिलिपि:– उप सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक– 844, दिनांक– 23.01.2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एस० के० सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

D:\Hira\amresh sir\Vidhan Sabha Question.docx

(481)

श्रीमती बबीता देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का0–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016 हेतु राज्य के सभी जिलों के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए विभिन्न विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की रिक्तियों के विरूद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि–25.04.2017 थी ;	अस्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त परीक्षा में उर्त्तीण उम्मीदवार, जिन्होंने विनोवा भावे विश्वविद्यालय से सत्र–2015–2017 में बी0एड0 उत्तीर्ण किया है, उन्हें बी0एड0 प्रशिक्षण अवधि पूरा नहीं होने का कारण बताकर अयोग्य घोषित किया जा रहा है जबकि राँची विश्वविद्यालय से सत्र–2015–2017 में बी0एड0 उत्तीर्ण सफल उम्मीदवारों को नियुक्त की जा रही है;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सत्र 2015–2017 में बी0एड0 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नोटिश निर्गत किया गया था, परन्तु आयोग द्वारा सत्र 2015–2017 में बी0एड0 परीक्षा किसी भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षाफल में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि विनोवा भावे विश्वविद्यालय सत्र– 2015–2017 के बी0एड0 का परीक्षाफल दिनांक–13.02.2018 को प्रकाशित हुआ एवं संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016 का परीक्षाफल दिनांक–14.12.2018 को प्रकाशित हुआ, इनके बावजूद भी उम्मीदवारों की अयोग्य बताकर नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है;	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सत्र–2015–2017 में विनोवा भावे विश्वविद्यालय से बी0एड0 उत्तीर्ण, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016 में सफल सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा कंडिका–2 एवं 3 में अंकित है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–04/2019 का0 976 /राँची दिनांक– 31 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–843, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/19
(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

482

श्री राम कुमार पाहन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक सं०–3028, दिनांक–26.08.2006, पत्रांक सं०–3029, दिनांक–26.08.2006 एवं पत्रांक सं०–3030, दिनांक–26.08.2006 के आलोक में चौकीदार/दिगवार/घटवार एवं दफादार/सरदार को यात्रा एंव ठहराव भत्ता दिये जाने, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) का लाभ दिये जाने एवं चौकीदार मैनुअल के प्रावधानों के तहत कार्य लिये जाने संबंधी निर्देश के बावजूद उक्त कर्मियों अभी तक उक्त लाभों से वंचित रखा गया है जिससे कर्मियों में काफी आक्रोश है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–5020, दिनांक–11.09.2017 द्वारा सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को चौकीदार/दिगवार/घटवार एवं दफादार/सरदार को यात्रा एवं ठहराव भत्ता दिये जाने एंव ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ दिये जाने हेतु निदेशित किया गया है। राज्य सरकार की यह मंशा रही है कि चौकीदार आदि को चतुथ वर्गीय कर्मचारी के समरूप सभी प्रकार के वित्तीय लाभ मुहैया करायी जाय।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों को यात्रा एवं ठहराव भत्ता तथा एम०ए०सी०पी० का लाभ देने एवं चौकीदारों को मैनुअल के प्रावधानों के तहत कार्य लिये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वित्त विभाग के संकल्प सं०–3336, दिनांक–17.09.2014 तथा 737, दिनांक–27.03.2018 द्वारा यात्रा भत्ता राज्य अंतर्गत सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। वित्त विभाग के संकल्प सं०–5207, दिनांक–14.08.2002, 2981, दिनांक–01.09.2009 एवं 1779, दिनांक–21.05.2014 तथा अनुवर्ती नियम/परिपत्र ए०सी०पी०/एम० ए०सी०पी० राज्य अंतर्गत सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। उक्त संकल्पों के अनुरूप सभी कर्मचारी अच्छादित हैं।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०–01/2019–686/ राँची, दिनांक– 01/02/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–850, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/02/19

सरकार के अपर सचिव।